कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय् राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 3726/2016 श्री मुरलीधर रेगर बनाम सरकार व अन्य में माननीय् न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 06-12-2016 के द्वारा विभागीय स्थानान्तरण सम्बधी आदेश दिनांक 23-11-2016 का क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री रेगर के सम्बध में स्थगित किया गया। अतः **माननीय् न्यायालय निर्णय के अध्याधीन** श्री मुरलीधर रेगर को राउमावि0 जाटावाली जयपुर के पद पर श्री ब्रजेश कुमार मथुरिया को प्रधानाचार्य राउमावि0 हिलोडी मुण्डवा नागौर के पद पर **कार्यरत रहने सम्बधी आदेश दिनांक 04-01-2017** विभाग द्वारा जारी किया गया।

माननीय् अपील अधिकरण जयपुर में ही दायर एक अन्य अपील संख्या 103/2017 श्री ब्रजेश कुमार मथुरिया बनाम सरकार एवं अन्य में माननीय् अपील अधिकरण के अन्तिम आदेश दिनांक 03-03-2017 के अनुसार **(उक्त दोनों अपीलों 3726/2016 एवं 103/2017 को क्लब किया जाकर दिये गये समेकित निर्णय के अनुसार)** अपील संख्या 3726/2016 श्री मुरलीधर रेगर बनाम सरकार में पूर्व में दिये गये स्थगनादेश दिनांक 06-12-2016 को प्रावकाश/ वैकेट किया जाता है तथा विभाग को यह निर्देशित किया गया है कि अपने पूर्व स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23-11-2016 व 25-11-2016 की स्थिति पुर्नस्थापित करते हुए, तद्नुरूप पदस्थापित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही/ आदेश पारित करे।

अतः माननीय् अपील अधिकरण जयपुर के उक्त निर्णय की पालना (स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23-11-2016 व 25-11-2016 की स्थिति पुर्नस्थापित करते हुए) श्री मुरलीधर रेगर, शैक्षिक अधिकारी, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर में तथा श्री ब्रजेश कुमार मथुरिया प्रधानाचार्य, रा.आदर्श उमावि0 जाटावाली-गोविन्दगढ जयपुर में पदस्थापित रहेंगें। सम्बधित सूचित हो तथा पालना से तत्काल अवगत करावें।

(बी0 एल0 स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/अपील-103/2017/ब्रजेश मथुरिया/ दिनांक - 17-3.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।
3. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II) को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करवाकर अवगत करावें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर को सूचनार्थ।
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित अधिकारी
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर